न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 154 / 2018

आरसीएमएस नं. 2018 / 154

साधुराम पुत्र श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. हरकौरी पत्नी दीवान सिंह
2. जयवीर सिह पुत्र दीवान सिंह
3. संजीव कुमार पुत्र दीवान सिंह

} जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश दिनांक 28.02.2018

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा।

प्रकरण संख्या 08 / 2018, अनवान साधुराम बनाम हरकौरी

उपस्थितिः—

श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मांगेराम गोदारा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ता 3

निर्णय दिनांक 06.7.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थना—पत्र में कथन किया कि रोही मौजा चक 3 एमएसआर के खाता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 219/62 की 3.036 है0 तथा चक 6 डीपीएन के खाता सं0 33/37 की 13.915 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि को गैरसायल सं0 1 ता 3 ने झीण्डूराम के वसीयतनामा दिनांक 18.03.1987 के आधार पर क्रमशः इन्तकाल संख्या 145 और इन्तकाल संख्या 50 के द्वारा भूमि अपने नाम करवा ली। जो माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा उक्त इंतकाल को दिनांक 13.07.2017 के आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भूमि गैरसायल के नाम दर्ज होने के कारण गैर सायल ने यह धमकी दी है कि वे भूमि को विक्रय कर देंगे क्योंकि भूमि उनके नाम से है उक्त भूमि पर जबरदस्ती ताकत के बल पर ढाणी के मकानात व ट्यूब लगाने की धमकी दे रहे है। अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है, तो सायल को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए गैरसायल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. गैरसायल/रेस्पोडेण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में एक अपील राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है एवं एक दीवानी वाद वसीयत के सम्बन्ध में अपर जिला न्यायाधीश भादरा के यहां जैरकार है। दावा में वादी ने ना ही तो अपने हक की घोषणा चाही तथा ना ही प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली चाही है ऐसी सूरत में वादी का वाद चलने लायक नहीं हैं वादी के पिता ने प्रतिवादीगण की वसीयत पर कभी कोई एतराज नहीं उठाया तथा अप्रार्थीगण को विवादित भूमि का हकदार मानकर उनका खाता अलग कर उन्हें वाद भूमि संभलाई हैं। ऐसी सूरत में वादी को वाद भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद कारण हासिल नहीं है। जहां तक प्रतिवादीगण वाद भूमि पर काबिज हो तो उनके खिलाफ स्थाई अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकृत नहीं की जा सकती केवल बेदखली की इस्तदुआ की जा सकती है जो दावा में नहीं है। इसलिए सायल का वाद ही चलने लायक नहीं है। सायल विवादित भूमि का किसी भी श्रेणी का काश्तकार नहीं है इसलिए विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा करने का हकदार नहीं है। रेस्पोडेण्ट के हक में वसीयत दिनांक 18.03.1997 को दर्ज हुई तथा सन 1989 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उनके हक में वाद भूमि का इंतकाल भी दर्ज हो गया तथा सन् 2015 में वाद भूमि का खाता अलग होकर सब फरीकेन सहमति से बंटवारा भी हो गया ये सब कार्यवाही सायल व उनके पिता राजेन्द्र की जानकारी व मौजूदगी में हुई थी और सब कुछ देखकर व जानकारी के बाद भी कभी उन्होंने इसका एतराज नहीं किया। इतने लम्बे अर्से के बाद अब ये एतराज के हकदार नहीं है क्यों कि दफा 10 सीपीसी के इसके खिलाफ लागू होता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है तथा मौजूदा प्रकरण में विधि विरूद्ध तरीके से गैर खातेदारी भूमि की वसयीत की गई है, परन्तु इस बिन्दू पर गौर ना कर विचारण न्यायालय ने अहम भूल की है। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के आदेश दिनांक 13.07.2017, अपील संख्या 158, 159, 160/2017 साधुराम बनाम हरकौरी आदि में वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट के पक्ष में किये गये नामान्तरण संख्या क्रमशः 144, 50, 145 निरस्त किये गये हैं तथा नामान्तरण निरस्त होने के उपरान्त वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेण्ट खातेदार काश्तकार नहीं रहे। विधि अनुसार झीण्डू पुत्र ईशरराम के नाम दर्ज आराजी का विरासतन नामान्तरण होना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर की गई प्रविष्टि को सही मानते हुए प्रार्थना अपीलाण्ट फरमाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में एक अपील राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है एवं एक दीवानी वाद वसीयत के सम्बन्ध में अपर जिला न्यायाधीश भादरा के यहां जैरकार है। दावा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादी ने ना ही तो अपने हक की घोषणा चाही तथा ना ही प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली चाही है ऐसी सूरत में वादी का वाद चलने लायक नहीं हैं वादी के पिता ने प्रतिवादीगण की वसीयत पर कभी कोई एतराज नहीं उठाया तथा अप्रार्थीगण को विवादित भूमि का हकदार मानकर उनका खाता अलग कर उन्हें वाद भूमि संभलाई हैं। ऐसी सूरत में वादी को वाद भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद कारण हासिल नहीं है, जहां तक प्रतिवादीगण वाद भूमि पर काबिज हो तो उनके खिलाफ स्थाई अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकृत नहीं की जा सकती केवल बेदखली की इस्तदुआ की जा सकती है जो दावा में नहीं है। इसलिए सायल का वाद ही चलने लायक नहीं है। सायल विवादित भूमि का किसी भी श्रेणी का काश्तकार नहीं है इसलिए विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा करने का हकदार नहीं है। रेस्पोडेण्ट के हक में वसीयत दिनांक 18.03.1997 को दर्ज हुई तथा सन 1989 को उनके हक में वाद भूमि का इंतकाल भी दर्ज हो गया तथा सन् 2015 में वाद भूमि का खाता अलग होकर सब फरीकेन सहमति से बंटवारा भी हो गया ये सब कार्यवाही सायल व उनके पिता राजेन्द्र की जानकारी व मौजूदगी में हुई थी और सब कुछ देखकर व जानकारी के बाद भी कभी उन्होंने इसका एतराज नहीं किया। इतने लम्बे अर्से के बाद अब ये एतराज के हकदार नहीं है क्यों कि द्फा 10 सीपीसी के इसके खिलाफ लागू होता है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर की गई प्रविष्टि को सही मानते हुए प्रार्थना अपीलाण्ट अस्वीकार फरमाया है। मूल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है तथा मौजूदा प्रकरण में विधि विरूद्ध तरीके से गैर खातेदारी भूमि की वसीयत की गई है। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के आदेश दिनांक 13.07.2017, अपील संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

158, 159, 160/2017 साधुराम बनाम हरकौरी आदि में वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट के पक्ष में किये गये नामान्तरण संख्या क्रमशः 144, 50, 145 निरस्त किये गये हैं तथा नामान्तरण निरस्त होने के उपरान्त वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेण्ट खातेदार काश्तकार नहीं रहे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भादरा, का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.7.25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/25

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)